

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 लखीमपुर-खीरी।
दाण्डिक वाद संख्या-1138/2019

सरकार

बनाम

पांडे उर्फ राकेश

मुकदमा अपराध संख्या-329/2018

धारा-323,324,504 भा०दं०सं०

थाना फूलबेहड़

जिला लखीमपुर खीरी

26.05.2026

वाद पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त पांडे उर्फ राकेश की मृत्यु आख्या मय प्रमाणपत्र सम्बन्धित थाने से प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। उपरोक्त अभियुक्त की मृत्यु आख्या को सी०डब्लू० 1 कां० दिलीप कुमार थाना फूलबेहड़ जिला लखीमपुर द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र को दाखिल किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। अतः प्रस्तुत आपराधिक वाद की कार्यवाही मृतक अभियुक्त पांडे उर्फ राकेश के विरुद्ध उपशमित की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रेनू यादव)

shivam

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 1

लखीमपुर खीरी

जे०ओ० कोड- UP 2206